



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: उ.कू. (शैक्षणिक-द्वितीय) / 2023 /

दिनांक:

राजस्थान विश्वविद्यालय में सम्बद्धता के लिए महाविद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन-पत्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

राजस्थान विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले जयपुर व दौसा जिलों के राजकीय व निजी महाविद्यालयों की सत्र 2023-24 की सम्बद्धता के लिए दिनांक 04.02.2023 से निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरे जाने हैं:-

1. विश्वविद्यालय ऑनलाइन पोर्टल <https://ruaffiliation.in> पर दिए गए सम्बद्धता आवेदन पत्र में समस्त जानकारियों को भरकर उसकी हार्डकॉपी संस्था सचिव द्वारा सत्यापित करते हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के दो सप्ताह में विश्वविद्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। महाविद्यालयों को जारी आई.डी. व पासवर्ड उनकी ई-मेल पर प्रेषित कर दिये हैं तथा इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कम्प्यूटर फर्म की ई-मेल support@ruaffiliation.in व हेल्पलाईन नम्बर 8233426511 (समय प्रातः 11 से सायं 05 बजे तक) पर तुरन्त सूचित करें, साथ ही आवश्यक हो तो कार्यालय में सम्पर्क करें।
2. नया महाविद्यालय खोलने के लिए संस्था प्रधान को सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए कार्यालय द्वारा अस्थायी आई.डी. व पासवर्ड जारी किया जावेगा।
3. महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय के निम्न खाते में निर्धारित दिनांक तक जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय के खाते से सम्बद्धता शुल्क ऑनलाइन जमा होने के पश्चात् सर्वर की तकनीकी खामी के कारण राशि महाविद्यालय के खाते में पुनः लौटने (Transaction Failed) की स्थिति में सम्बद्धता शुल्क निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा करवाने की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क मय दण्ड व विलम्ब शुल्क देय होगा:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड
1.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, वापू नगर, जयपुर	674701701612	ICIC0006747

4. राजस्थान विश्वविद्यालय से सत्र 2022-23 तक सम्बद्धता प्राप्त सभी शोध केन्द्रों/स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है, इस हेतु उन्हें केवल आवेदन शुल्क 1210/- रु. देय होगा तथा राज्य सरकार द्वारा जिन महाविद्यालयों के नाम/स्थान परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
5. राजस्थान विश्वविद्यालय से सत्र 2023-24 में शोध केन्द्रों की नवीन सम्बद्धता (Fresh Affiliation) के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र व राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय नियमानुसार होना आवश्यक है तथा जिस विषय में शोध केन्द्र प्रारंभ किया जाना है, उसी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता होना भी आवश्यक है।

₹
03/2/23

10.02.2023

नीलिम
3/2/23

6. महाविद्यालयों द्वारा सभी विषय/पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन-पत्र एवं दस्तावेज एक ही पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
7. महाविद्यालयों द्वारा नवीन विषय/पाठ्यक्रमों में (Fresh Affiliation/New Course/ Additional Subject)/शोध केन्द्र (Research Centre)/स्थायी सम्बद्धता (Permanent Affiliation)/सीट अभिवृद्धि (Increase Intake) आदि से सम्बन्धित प्रत्येक विषय/ पाठ्यक्रम के आवेदन-पत्र एवं समस्त दस्तावेज अलग-अलग पत्रावलियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
8. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.एड./एम.एड./बी.एड.-एम.एड. (तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड) के पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन-पत्र एवं दस्तावेज एक ही पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
9. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.ए.-बी.एड./बी.एससी.-बी.एड. के पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन-पत्र एवं दस्तावेज एक ही पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
10. विशेष शिक्षा हेतु संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.एड./एम.एड./पी.जी.डी.पी. आर. (विशेष शिक्षा) के पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन-पत्र एवं दस्तावेज एक ही पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
11. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.पी.एड. के पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए आवेदन-पत्र एवं दस्तावेज अलग पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
12. महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन भरे गए सम्बद्धता आवेदन-पत्र के साथ राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सोसाईटी पंजीकरण पत्र, एफ.डी.आर. की प्रमाणित प्रति, भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र, भवन का एक ब्लू प्रिंट, फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पिछले दो सत्रों (2021-2022 व 2022-23) के सम्बद्धता आदेश (Provisional Extension Affiliation) की प्रमाणित छायाप्रति तथा महाविद्यालयों को सत्र 2023-24 से पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की गई सम्बद्धता आदेश (नवीन/सम्बद्धता में अभिवृद्धि/सीट अभिवृद्धि आदि) के प्रमाणित आदेशों की छायाप्रति भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय में निर्धारित समयावधि (दो सप्ताह) में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उसके पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय से 600/- रु. प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र जमा किया जावेगा।
13. महाविद्यालयों को राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
14. महाविद्यालयों के द्वारा पाठ्यक्रम/विषयों की स्थायी सम्बद्धता लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय नियमानुसार करवाया जाना अनिवार्य है तथा उन प्राचार्य/व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित वेतनमान तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमानुसार पी.एफ. व ग्रेज्युटी प्रदान किए जाने से सम्बन्धित समिति के सचिव/अध्यक्ष के द्वारा शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा साथ ही अनुमोदित प्राचार्य/व्याख्याताओं का विवरण महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।

03/2/23

10.11.2023

नीलिम
3/2/23

15. सभी महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय की वेबसाईट पर समस्त जानकारियां जैसे-संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण/शिक्षकों का विवरण/प्रवेशित छात्रों की संख्या/सोसाईटी से सम्बन्धित सभी दस्तावेज/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश/RCI का मान्यता पत्र/NCTE का मान्यता पत्र (जो भी लागू हो) को प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है एवं जिन महाविद्यालयों की वेबसाईट बनी हुई नहीं है, उन्हें वेबसाईट तैयार कर उक्त जानकारियों व आवेदन-पत्र तथा तैयार किये गए वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ के प्रिंट को पत्रावली के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
16. राजस्थान विश्वविद्यालय से स्थायी व अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों को उक्त लिंक पर महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याताओं का विवरण व महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनायें ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरना आवश्यक है।
17. सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य/व्याख्याताओं की शैक्षणिक योग्यता यू.जी.सी./"राष्ट्रीय अध्यापक परिषद्" (NCTE)/"भारतीय पुनर्वास परिषद्" (RCI) (जो भी लागू हो) के नियमानुसार होगी। प्राचार्य के अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय सिण्डिकेट की बैठक दिनांक 18.02.2010 निश्चय संख्या-4 के निर्णयानुसार अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष तक (यदि अनुमोदित है तो) तथा व्याख्याताओं की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक मान्य होगी।
18. महाविद्यालय इस आशय का निर्धारित शपथ-पत्र (राशि 100/- का नॉन ज्यूडिशियल) जिसमें यह उल्लेख हो कि "एक ही भूमि एवं भवन के आधार पर एक से अधिक महाविद्यालय/विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं की है, साथ ही महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार/NCTE/RCI (जो भी लागू हो) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों की पूर्ण पालना की गई है।"
19. विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन-पत्र व संलग्न समस्त दस्तावेजों को सचिव द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा यदि उनमें कोई असत्यता पाई जाती है तो उसके लिए संस्था सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा सम्बद्धता आवेदन-पत्र भरने से सम्बन्धित समस्त जानकारियां/सूचनायें उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध है।

S/L
(नीलिमा तक्षक)
कुलसचिव

क्रमांक: उ.कु. (शैक्षणिक-द्वितीय)/2023/432-44
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 03/02/2023

1. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, रा.वि.वि., जयपुर।
2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
4. समस्त उप कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
5. जन संपर्क अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
6. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
7. रक्षित पंजिका।

10/1/23
(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप कुलसचिव (शैक्षणिक-द्वितीय)